रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1217/2026/811/22-2-2026-17(389)/2026

लखनऊ : दिनांक: 23 सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(क) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य दिवस (07 अप्रैल, 2026) के अवसर पर नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती मुन्नी देवी (बन्दी संख्या-2858) पत्नी शंकर गुप्ता, 2/390 नवाबगंज, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-559/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 29.10.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.06.2020 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है, बन्दी द्वारा दिनांक 07.04.2026 तक अपरिहार 14 वर्ष, 12 दिन एवं सपरिहार 16 वर्ष, 26 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण अच्छा है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-1217/2026/811(1)/22-2-2026 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

3- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।

4- अधीक्षक, नारी बंदी निकेतन, लखनऊ।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in